

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3530

दिनांक: 30/07/11

## // अधिसूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिचय 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : बी.आई.एम.आर. नर्सिंग महाविद्यालय, सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेन्सी, ग्वालियर (म.प्र.)

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. एस.पी. शर्मा

2. श्रीमती कस्तूरी बाई बरेला, सदस्य, कार्यपरिषद्

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

  
अधिष्ठाता  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. नर्सिंग महाविद्यालय सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेन्सी, ग्वालियर (म.प्र.) की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूतीवसिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4171

दिनांक: 07-12-11

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बी.आई.एम.आर. नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2405662) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम अस्था/पाठ्यक्रमों/विषयों की स्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(9)(2) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. एस.के. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442633)
- (2) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. अनुराग चौहान, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
- (4) डॉ. रेणुका दास, प्राचार्या, पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जन विकास ब्यास, कैसर पहाड़ी, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुभूति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4336

दिनांक: 06/01/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बी.आई.एम.आर. नर्सिंग महाविद्यालय सूर्य मंदिर रोड़, रेजीडेन्सी, ग्वालियर (0751-2405662) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष, एवं पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442793)
- (2) प्रो. रेणुका दास, प्राचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कैंसर पहाड़ी, ग्वालियर।
- (3) प्रो. राधा तोमर, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं कराता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र प्रत्याहृत एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सहिष्णु हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4668

दिनांक: 16/03/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेन्सी, ग्वालियर (0751-2405662) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष, एवं एम.एस-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-


- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442603)
- (2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) प्रो. रेणुका दास, प्राचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जन विकास न्यास केन्सर पहाडिया, ग्वालियर।
- (4) डॉ. अनुराग चौहान, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

नोट:- निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है, आई.एन.सी. के नार्म्स को सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

  
कुलसचिव

## प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ज्ञान : यूजीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jures\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/5059

दिनांक : 25/6/12

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02 मई, 2012 के पद क्रमांक (05) के निर्णयानुसार बी.आई.एम.आर. नर्सिंग महाविद्यालय, सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेन्सी, ग्वालियर को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष, एवं पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय कॉलेज कोड 28(17) के अन्तर्गत एक प्रोफेसर तीन एसोसिएट प्रोफेसर एवं एक क्रीडा अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र अतिशीघ्र कराये।
2. महाविद्यालय द्वारा कॉलेज कोड 28(17) के अन्तर्गत नियुक्त प्राचार्य, शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्ष, क्रीडा अधिकारी आदि को निर्धारित वेतनमान (पे-स्केल) दिया जावे।
3. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य, शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष, क्रीडा अधिकारी आदि का नियमानुसार पी.एफ. का कटौती किया जावे एवं पी.एफ खाते में कटौती की गई राशि का जमा करना सुनिश्चित किया जावे।
4. महाविद्यालय द्वारा सी.एच.एन प्रयोगशाला में आई.एन.सी.के. मापदण्डों के अनुसार, महाविद्यालय में संचालित विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीट संख्या के अनुसार विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को शीघ्र -अति शीघ्र दी जावे।
5. महाविद्यालय द्वारा दो लाख रुपये की खेल-कूद की सामग्री क्रय कर विश्वविद्यालय को स्टॉक रजिस्टर के छायाप्रति के साथ सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आदेशानुसार  
3/6/12  
कुलसचिव

### प्रति,

1. प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. नर्सिंग महाविद्यालय, सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेन्सी, ग्वालियर
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती मठल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

गणतंत्र के अन्तर्गत कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व कि. वि. वि. तथा छात्राधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर कोई पूछे भी वह कक्षागत रूप से ही एवं अन्तर्गत विषय सम्बन्धित रूप में किया जाये।



आ.सं. : कुलसचिव  
दूरभा. : (0751) 2442896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2442768

पत्रक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर  
कक्षा-एफ/सम्बद्धता/2009/5106

दिनांक: 13/7/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध की आई.एस.आर. नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2405662) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.सी. नर्सिंग, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/कक्षायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचयन 27(10) के अन्तर्गत नियमानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अध्यक्षता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.टी.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) डॉ. अश्वराम चौहान, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
- (3) डॉ. ज्योति मोहिते, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
- (4) डॉ. उत्पल जयंत, जी.आर.एम.सी. कॉलेज, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति को सदस्यों के अनुसूची है कि वे परिचयन 27(10) के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर बुला, प्रवेश लेखि, वाकित हीसॉफन/अनौपचारिक स्वीकृति, प्राथमिक संख्या से प्राप्त अनुसूचित/सुसंपन्न प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/सांकेतिक तथा विद्यते सत्र में ही कार्य सत्ता की पूर्ति तथा इमान् 54-के तथा प्राचार्य/सहायक एवं अधीनस्थ स्वीकृति की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि की सारे में सचिव विद्यालय/अनुसंधान अधिकारी। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष बुद्धक पर प्राप्त होने के 5: दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित एवं विरीक्षण करावे। समिति संयोजक को विवेक है कि वे जब विद्योहित समय में विरीक्षण करे एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विद्योहित/स. कार्यालय में जमा करे। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति सत्र का पूरा पाया होने के बाद विरीक्षण में की कार्य देरी को लिए महाविद्यालय सत्र में उत्तरदायी होगा। विद्योहित सूचना अनुसार, उक्त विद्यालय, भोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 महीने में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति द्वारा विरल हो जायेगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को 5000/- जमा करने होगी। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिचयन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना उचित/अनुचित है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता हासिल में कार्यन अधीनस्थ / कार्यालय उत्तरदायक प्रशासकी लेखक जयवंत जीवाजी विश्वविद्यालय की सहायक समिति से विरीक्षण समिति को अवगत करावे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को पी.ए. / डी.ए. / सहायक महाविद्यालय द्वारा देना होगा।

  
कुलसचिव

### प्रतिनिधि -

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति को संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विद्योहित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावे। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करना ही कारगरा करे।
3. अनुसंधान उक्त विषय, सतपुत्रा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव को निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)